

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

ऑफिस कॉम्प्लेक्स प्रथम तल ब्लॉक-A एकात्म पथ, सेक्टर-24 अटल नगर, रायपुर (छ0ग0)

ईमेल-secretaryboc@gmail.com, Phone No. 0771-2971063-64

// अधिसूचना //

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक

File No.: GENS/5276/2026-SECTION - SCHEME / REGISTRATION / GRIEVANCE / LEGAL "भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए पूर्व में जारी अधिसूचना क्र0 01 दिनांक 02.11.2012 के माध्यम से संचालित "बंधक निर्माण मजदूर पुनर्वास सहायता योजना" को इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से समाप्त किया जाता है। (श्रम विभाग, छ0ग0 शासन द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by
Gireesh Kumar Ramteke
Date: (गिरीश रामटेके)
13:52:24 सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, नवा रायपुर

File No.: GENS/5276/2026-SECTION - SCHEME / REGISTRATION / GRIEVANCE / LEGAL अटल नगर, दिनांक
प्रतिलिपि :-

1. मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवारायपुर, अटलनगर (छ0ग0)।
2. विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्रीजी, छ0ग0 शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
3. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
5. श्रमायुक्त, कार्यालय श्रमायुक्त, इन्द्रावती भवन, खण्ड-03, द्वितीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
6. प्रभारी अधिकारी, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल खण्ड-03, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
7. कल्याण आयुक्त, छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल, प्रवीण भवन 31/520, न्यू शांति नगर, रायपुर (छ0ग0)।
8. समस्त, जिला कलेक्टर,(छ0ग0)।
9. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी कार्यालय(छ0ग0)।

निरंतर.....2

10. सचालक, जनसंपर्क सचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर उपरोक्त अधिसूचना जन सामान्य के सूचनार्थ समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
11. लेखा शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
12. एन0आई0सी0 शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0) की ओर तत्काल वेब साईट में अपलोड करने बाबत्।
13. गार्ड फाईल।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित्।

सही / -

सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

अधिसूचना

दिनांक... 21/11/20

क्रमांक..... 01..... "भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा "छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :-

(अ) योजना का प्रावधान :-

- (i) योजना का नाम "बंधक निर्माण मजदूर पुर्नवास सहायता योजना" होगा।
- (ii) योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य से संबंधित सभी अधिसूचित वर्गों के श्रमिकों को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।
- (iii) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होंगे।

(ब) योजना हेतु पात्रता :-

- (i) योजना का लाभ निर्माण मजदूर हेतु अधिसूचित सभी प्रकार के प्रवर्गों के छत्तीसगढ़ के मूल रहवासी श्रमिकों को प्रदाय किया जा सकेगा।
- (ii) बंधक निर्माण मजदूर को प्रदेश में वापस आने के पश्चात् संबंधित जिले के माध्यम से मंडल में पंजीकृत किया जावेगा।

(स) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया

- (i) श्रम विभाग द्वारा अनुसंधित बंधुआ निर्माण मजदूर को योजना का लाभ प्रदाय किया जावेगा।
- (ii) योजना का लाभ बंधुआ निर्माण मजदूर को मंडल द्वारा एक ही बार देय होगा।



योजना हेतु ध्यय :-

(अ) निर्माण मजदूर हेतु अधिसूचित सभी प्रकार में से किसी भी प्रकार के कार्य करने वाले मजदूर अन्य प्रांतों में बंधक बनाये जाने के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर श्रम विभाग द्वारा प्रदेश में वापस लाने हेतु रुपये 2,000/- (अक्षरी रुपये दो हजार) तक प्रति श्रमिक प्रदाय किया जावेगा। यह ध्यय तब भी देय होगा, जब किन्हीं कारणों से अन्य प्रांत के संबंधित जिले के जिलाधिकारी द्वारा बंधक मुक्ति प्रमाण-पत्र प्रदाय नहीं किया जाता है, किन्तु यहां से गई टीम श्रमिक को वापस छत्तीसगढ़ लाने का निर्णय लेती है।

(ii) बंधक निर्माण मजदूर को अवमुक्त कराकर प्रदेश में वापस लाये जाने के पश्चात् प्रत्येक श्रमिक का स्वास्थ्य परीक्षण एवं आवश्यकतानुसार वस्त्र के लिए रुपये 2,000/- (अक्षरी रुपये दो हजार) तक प्रदाय किया जावेगा।

(iii) इस तरह प्रत्येक बंधक निर्माण मजदूर के लिए कुल रुपये 4,000/- (अक्षरी रुपये चार हजार) तक का भुगतान मंडल द्वारा श्रम विभाग से सूचना प्राप्त होने पर संबंधित जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी को प्रदाय किया जावेगा।

(ई) स्वीकृति का अधिकार :-

(i) योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी को होगा।

(फ) विसंगति का निराकरण-

(i) योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का निर्णय अंतिम माना जावेगा।

(छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

(सविता मिश्रा)

सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर